राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2715551 E-mail: csr.edu.raj@gmail.com

क्रमांक : रा.मा.शि.प/जय/सीएसआर/मीडिया/2017/7653 दिनांक : 18/10/2017

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले

विषयः पूर्व छात्र परिषद् सदस्यों को राज्य परियोजना निदेशक का पत्र शाला दर्पण से भिजवाने के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः कार्यालय का पत्रांक क्रमांकः 1105 दिनांकः 12/02/2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक द्वारा राजकीय विद्यालयों में गठित पूर्व विद्यार्थी मंच (पूर्व छात्र परिषद्) में पूर्व विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जोडकर विद्यालयों में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व विद्यार्थियों के वर्तमान सम्पर्क सूचनाऐं एकत्रित कर, विद्यालयों के संस्था प्रधान की ओर से पत्र लिखने के लिए तथा पूर्व विद्यार्थियों की एकत्रित वर्तमान सम्पर्क सूचनाऐं विद्यालय लॉगिन द्वारा शाला दर्पण पर इन्द्राज करने के लिए भी निर्देशित किया गया था।

किन्तु विद्यालयों द्वारा पूर्व छात्र परिषद् के सदस्यों की सूचनाऐं शाला दर्पण अंकित करने गति अत्यधिक धीमी है। अभी तक मात्र 2135 विद्यालयों ने 11615 पूर्व विद्यार्थियों की सूचनाओं का शाला दर्पण पर इन्द्राज किया है। साथ ही यह भी देखने में आया है कि विद्यालयों द्वारा की गई प्रविष्ठियां सही अंकित नहीं की गई है। उदाहरणार्थ– एक ही ई–मेल पते को बहुत से पूर्व छात्रों के लिए उपयोग किया गया है या सही मोबाइल नम्बर अंकित नहीं किये गय है। अतः सभी संस्था प्रधानों को सूचनाओं को अपडेट करने एवं जिन विद्यालयों ने सूचनाऐं अंकित नहीं की है, उन्हें अधिकाधिक सूचनाऐं एकत्रित करवाकर इन्द्राज करने हेतु निर्देशित करें।

इस अतिरिक्त विद्यालयों के लॉगिन पर राज्य परियोजना निदेशक स्कूल शिक्षा परिषद् की ओर से पूर्व विद्यार्थी परिषद् को ई–मेल भेजने की सुविधा प्रारंभ की गई है। जिसकी प्रक्रिया इस पत्र के साथ संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि इस सुविधा का उपयोग कर राज्य परियोजना निदेशक की ओर से अपने लॉगिन से पूर्व छात्र परिषद् मॉड्यूल के माध्यम से ई–मेल भेजना सुनिश्चित करें। सभी जिला अधिकारी शालादर्पण पर उनके लॉगिन पर कार्यप्रगति मेन्यू में उपलब्ध रिपोर्ट की सहायता से प्रगति की समीक्षा कर गति प्रदान करें।

(सुरेश चन्द्र)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक जयपुर
5. उपायुक्त प्रथम/द्वितीय, रामाशिप जयपुर
6. प्रभारी अधिकारी, शाला दर्पण/दर्शन प्रकोष्ठ, रामाशिप जयपुर
7. उपनिदेशक, सीएसआर प्रकोष्ठ जयपुर
8. उपनिदेशक, मॉनिटरिंग, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर
9. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक